निर्देश सं - 1-5

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

तृतीय तल , इंडियन आयल भवन,
01, श्री अरबिन्द मार्ग, यूसुफ सराय,
नई दिल्ली-110016

सं ० ए -110016/12/2020/ सी ए क्यू एम - सी & डी /32

दिनांक: 23.12.2020

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण / रोकथाम।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, अध्यादेश, 2020 को भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय के (2020 के संख्या 13) 28 अक्टूबर, 2021 को प्रख्यापित और अधिसूचित किया गया है।

जबकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020 की धारा 3 की उपधारा (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (एतद्पश्चात आयोग के नाम से संदर्भित) गठन किया है, जो कि कथित अध्यादेश के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत दिए गए कार्यों को करेगा|

जबकि, आयोग के उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ कार्यों का समन्वय शामिल है; वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम की योजना बनाना और निष्पादन करना; वायु गुणवत्ता के लिए मानदंड निर्धारित करना: वायु गुणवत्ता पर प्रभाव डालने वाले पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन सीमा और फैलाव के मानकों को निर्धारित करना; उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध और निगरानी जिसमें कोई भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों का वर्ग जो क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है: परिसर, संयंत्र, उपकरण, निर्माण इकाइयों का निरीक्षण: रोकथाम से संबंधित मैनुअल, कोड या दिशानिर्देश तैयार करना, क्षेत्र आदि में वायु प्रदूषण का नियंत्रण और न्यूनीकरण करना है|

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2020 की धारा 12 (1) के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने के उद्देश्य से आयोग के पास ऐसे सभी उपाय करने, निर्देश जारी करने आदि की शक्ति है, जैसा कि यह आवश्यक या समीचीन समझता है।;

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश, 2020 की धारा 12(2) (i), आयोग को इस अध्यादेश या किसी अन्य कानून के तहत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों, अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कार्यों का समन्वय करने का अधिकार देता है। क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए क्षेत्र के लिए एक कार्यक्रम की योजना और निष्पादन करने का अधिकार देता है|

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020 की धारा 12 (2) (viii) आयोग को किसी भी परिसर, संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, निर्माण या अन्य प्रक्रियाओं, सामग्री या पदार्थों के निरीक्षण के लिए और ऐसे अधिकारियों, या व्यक्तियों को ऐसे निर्देश देने के लिए अधिकार देता है कि वे क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए आवश्यक कदम उठायें|

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2020, की धारा 12 (2) (xii) आयोग को किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को लिखित रूप में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा;

जबकि, यह देखा गया है कि निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल, अन्य कारणों के साथ, पूरे वर्ष वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। निर्माण/विध्वंस गतिविधियों से भारी मात्रा में धूल उत्पन्न होती है और इससे हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में महत्वपूर्ण योगदान होता है जिससे वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है|

जबकि, जबकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल-वायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 29/03/2016 की अधिसूचना सं. जीएसआर 317 (ई) ने "निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" अधिसूचित किया है जिसके तहत , अन्य बातों के साथ-साथ, एसपीसीबी/पीसीसी और सीपीसीबी के कर्तव्यों को विस्तृत रूप से बताया गया है |

जबकि, यह देखा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण सामग्री और सी एंड डी कचरे, को संभालने में धूल शमन उपायों पर दिशानिर्देश 2017 जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निर्माण सामग्री और सी एंड डी कचरे के प्रबंधन के दौरान प्रमुख धूल पैदा करने वाली गतिविधियों की पहचान शामिल है। निर्माण सामग्री और सी एंड डी कचरे की संरचना और निर्माण सामग्री और सी एंड डी कचरे के प्रबंधन में धूल कम करने

के उपाय है जैसे परिवहन, ऑफ-साइट, ऑन-साइट स्टोरेज, साइट पर निर्माण / विध्वंस / नवीनीकरण गतिविधियों आदि के दौरान|

जबकि, धूल कम करने के उपाय, अन्य बातों के साथ-साथ, गीले दमन, बैरिकेड्स लगाकर हवा में कमी, निर्माण और विध्वंस भवन के चारों ओर मचान पर धूल अवरोधक चादरें, निर्माण सामग्री पर कवरिंग शीट्स का उपयोग जो आसानी से हवा में उड़ते हैं, उचित कवरिंग के लिए निर्धारित हैं। अस्थायी भंडारण स्थलों पर डंप किए गए सीएंडडी मलबे, निर्माण कार्यों पर पर्याप्त कवर, सीएंडडी अपशिष्ट सामग्री का उचित निपटान, निर्माण / विध्वंस सामग्री ले जाने वाले ट्रकों / वाहनों के पर्याप्त और उचित कवर, ऐसे वाहनों ऐसी सामग्री आदि की लोडिंग/अनलोडिंग के बाद सड़क; पर चलाने की अनुमति देने से पहले सफाई की जानी चाहिए|

जबकि, मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित धूल शमन उपायों का पालन न करने की स्थिति में निर्माण कार्य से धूल हवा में फैल जाती है और वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण कणों के साथ मिल जाती है, जिससे हवा अधिक प्रदूषित हो जाती है;

जबकि, आयोग का विचार है कि निर्माण सामग्री, मलबे, आदि जैसे निर्माण और विध्वंस कचरे को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति या संगठन या प्राधिकरण के किसी भी नागरिक ढांचे के निर्माण, रीमॉडेलिंग, मरम्मत और विध्वंस से उत्पन्न धूल की समस्या से निपटने के लिए, विभिन्न धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी गतिविधियों की नियमित रूप से निगरानी और निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है|

इसलिए अब और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और निर्माण सामग्री और निर्माण एवं विध्वंस कार्य कचरे को संभालने में धूल शमन उपायों के सख्त कार्यान्वयन के लिए, आयोग ने "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2020" के प्रावधानों के तहत गठित आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करता है:

(i) सीपीसीबी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के पीसीबी और डीपीसीसी द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण स्थलों पर परिसरों, संयंत्रों, उपकरणों, प्रक्रियाओं, सामग्रियों या पदार्थों का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त संख्या में दल गठित करना। ।

(ii) निर्माण सामग्री और सीएंडडी कचरे को संभालने में धूल शमन उपायों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए, निर्माण स्थलों, अपशिष्ट और विध्वंस प्रबंधन / डंपिंग स्थलों का इस प्रकार गठित टीमों द्वारा औचक निरीक्षण करना।

(iii) सी एंड डी गतिविधियों से संबंधित निर्माण सामग्री और सामग्री के परिवहन में धूल उपशमन उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र का दौरा करना।

(iv) निर्माण/विध्वंस स्थलों पर धूल न्यूनीकरण मानदंडों के उल्लंघनकर्ता (ओं) पर संबंधित अधिनियमों और नियमों, उसके तहत बनाए गए दिशा-निर्देशों के तहत, माननीय

न्यायालयों/एन. जी. टी. आदि द्वारा जारी मामले में मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाना।

(v) धूल उपशमन के लिए निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने वाले स्थलों पर निर्माण/तोड़फोड़ की गतिविधि को रोकना।

(vi) सी एंड डी से संबंधित निर्माण सामग्री और सामग्री के परिवहन में धूल शमन मानदंडों के उल्लंघनकर्ताओं पर पर्यावरण मुआवजा लगाना ।

(vii) उपरोक्त निर्देशों पर 30 दिसंबर, 2020 की अवधि तक, कार्रवाई की जायेगी और अनुलग्नक के अनुसार 31 दिसंबर, 2020 तक की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत जायेगी। इसके बाद, आयोग के अगले निर्देश तक, महीने की 18 तारीख (महीने की 15 तारीख को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए) और महीने के तीसरे दिन (पिछले महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए) पाक्षिक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

हस्ता ०

(अरविन्द कुमार नौटियाल)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार- सदस्य वा. गु. प्र. आयोग

दूरभाष: 01 1-20861974

ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में

1. सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
2. सदस्य सचिव, हरियाणा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
3. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
4. सदस्य सचिव, राजस्थान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5. सदस्य सचिव, दिल्ली, प्रदूषण नियंत्रण समिति

निर्देश सं - 1-5

अनुलग्नक

निर्माण/विध्वंस स्थलों आदि पर धूल शमन उपायों पर किए गए फील्ड दौरों/निरीक्षणों की रिपोर्ट।

1.	तैनात टीमों की संख्या (जितना संभव हो उतने दिनों में निरीक्षण किया जा सकता है)	
2.	निर्माण/विध्वंस (सी एंड डी) स्थलों की संख्या का दौरा/निरीक्षण किया गया	
(i)	धूल कम करने के उपायों का अनुपालन करते पाए गए (सी एंड डी) साइटों की संख्या	
(ii)	धूल कम करने के उपायों का अनुपालन नहीं करते पाए गए (सी एंड डी) साइटों की संख्या	
3.	साइटों की संख्या जहां पर्यावरण मुआवजा लगाया गया था	
4.	लगाए गए पर्यावरण मुआवजे की कुल राशि	
5.	कार्य ठप/निषेध हेतु आदेशित स्थलों की संख्या	
6.	वाहनों की संख्या, (सी एंड डी) से संबंधित परिवहन सामग्री, निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते पाए गए	
7.	पर्यावरण मुआवजे लगाए गए वाहनों की संख्या	
8.	वाहनों पर आरोपित/संग्रहीत पर्यावरण मुआवज़े की राशि	
9.	आदतन अपराधियों की संख्या और संक्षेप में की गई कार्रवाई	